

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला रीकर

क्रमांक/राजस्व/2023/171

दिनांक 6/5/2023

रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 3 (2) राज-6/2003 / पार्ट जयपुर, दिनांक 10.08.2016 की पालना में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अमिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के अन्तर्गत ग्राम- हाथी डेह पटवार मण्डल हाथी डेह भू-अमिलेख निरीक्षक वृत्त कांझी तहसील श्रीमाधोपुर की भूमि खसरा नम्बर 1002 में स्थित रास्ते का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा सलग्न निर्णयानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अगल दरामद करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शिविर प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
प्रशासन विभाग के संग अधिनियम-2023
उपखण्ड श्रीमाधोपुर
पंचायत समिति- अजीतगढ़

दिनांक: / /2023

क्रमांक/सम/ 171

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर।
2. भू-अमिलेख निरीक्षक वृत्त
3. पटवारी हल्का

शिविर प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
प्रशासन विभाग के संग अधिनियम-2023
उपखण्ड श्रीमाधोपुर
पंचायत समिति- अजीतगढ़

